प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. ....31/22............ दिनांक ....4/2/22............

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7
(ii) अधिनियम..................भा.द.स..............................धारायें..
(iii) अधिनियम.. धारायें..
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या...............62......... समय ......6:00 PM......
(ख) अपराध घटने का दिन गुरूवार दिनांक :– 03.02.2022 समय ....2.43 पीएम ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– नगरपालिका लोसल जिला सीकर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से पश्चिम दिशा में करीब 50 किलोमीटर
(ब) पता :– नगरपालिका लोसल जिला सीकर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री रामेश्वरलाल
(ब) पिता / पति का नाम :– श्री मन्नालाल
(स) जन्म तिथि / वर्ष :– 48 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी वार्ड नं. 01 लोसल जिला सीकर ....

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री विशाल माथूर पुत्र श्री पवन कुमार माथूर, उम्र–40, निवासी वार्ड नं. 21, मौहल्ला कोट, तहसील डीडवाना जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक नगरपालिका लोसल जिला सीकर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–....................................
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 5,000 रूपये.........................

11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामें, श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी सीकर। विषय :– रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै रामेश्वरलाल सैनी लोसल का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैने अपने हिस्से की भूमि जिसमें एक मकान बना हुआ है, का नगरपालिका से अपने नाम पट्टा बनवाने हेतु नगरपालिका लोसल में श्री विशाल माथूर बाबू से मिला तो उसने मेरे भाई सोहनलाल जिसने पूर्व में नगरपालिका से पट्टा बनवा लिया था उस पट्टे की फाईल देखकर तथा मेरे हिस्से की करीब 166 वर्गगज भूमि का पट्टा बनाने के लिये 3100 रूपये की एक रसीद तथा 11000 रूपये की एक रसीद तथा 4000 रूपये फाईल तैयार करने के इस प्रकार कुल बताया कि 18,100 रूपये सरकारी लगने के बताये तथा मेरे पट्टे की फाईल तैयार कर मेरे नाम नगरपालिका से पट्टा जारी करवाने के लिये 5000 रूपये अलग से रिश्वत के मांगे है। मै उक्त श्री विशाल माथूर बाबू को रिश्वत देना नहीं चाहता और उसे रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूँ। रिपोर्ट देता हूँ कानूनी कार्यवाही करें। एसडी– रामेश्वरलाल पुत्र श्री मन्नालाल, उम्र–48 वर्ष, जाति सैनी, निवासी वार्ड नं. 01 लोसल जिला सीकर, मोबाईल नम्बर 9414774165 दिनांक 01.02.2022, एसडी–सुरेशचन्द्र पुलिस

निरीक्षक कार्यवाही शुरू की जाती है दिनांक 01.02.2022, एसडी–धर्मवीर, एसडी–जयप्रकाश सैनी दिनांक 3.02.2022

कार्यवाही पुलिस

01.01.2022

11.30 एएम इस समय परिवादी रामेश्वरलाल पुत्र श्री मन्नालाल, उम्र–48 वर्ष, जाति सैनी, निवासी वार्ड नं. 01 लोसल जिला सीकर ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री विशाल माथूर बाबू नगरपालिका लोसल से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना में अंकित तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी–सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक

परिवादी रामेश्वरलाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.02.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी रामेश्वरलाल को टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। टेप रिकार्डर श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के साथ श्री रामनिवास कानि. को लोसल रवाना किया गया। उसी दिन बाद सत्यापन समय 07.00 पीएम पर श्री रामनिवास कानि. ने उपस्थित कार्यालय होकर टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि '' नगरपालिका लोसल के पास पहूँच मैने टेप रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर दिया तथा उसके नगरपालिका से वापिस आने के पश्चात टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया। कानि. रामनिवास ने बताया कि परिवादी की नगरपालिका में विशाल बाबू से वार्ता पूरी नहीं होने तथा कार्यालय समय समाप्त होने के कारण परिवादी के चाहेनुसार मैने परिवादी को बस स्टेण्ड लोसल पर पुनः टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया जिस पर कुछ समय बाद आरोपी बाबू के बस स्टेण्ड लोसल पर आने पर परिवादी ने उससे वार्ता की बाद वार्ता आरोपी बाबू के चले जाने पर मैने टेप रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर लिया। कानि. ने परिवादी की मन् पुलिस निरीक्षक से जरिये मोबाईल फोन वार्ता करवाई तो उसने अपने घर जरूरी कार्य होने तथा आईन्दा रूपयों की व्यवस्था कर कार्यालय आने की कही। टेप रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गयो तो परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में अंकित तथ्यों एवं रिश्वत मांग की पुष्टि होती है। टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमारी में रखा गया।

तत्पश्चात दिनांक 03.02.2022 को परिवादी रामेश्वरलाल कार्यालय में उपस्थित होकर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि '' दिनांक 01.02.2022 को मैने नगरपालिका लोसल में जाकर श्री विशाल माथूर बाबू से अपने काम के बारे में बातचीत की और उनके कहेनुसार मैने उनको मेरी नोटेरी की फोटो प्रति, बिजली बिल, राशन कार्ड तथा आधार कार्ड की कोपी दे दी, इसी दौरान कार्यालय समय समाप्त होने के कारण उसने मुझे बस स्टेण्ड लोसल पर मिलने की कही, जिस पर हम दोनों बस स्टेण्ड पर पहूँचे जहॉ माथूर बाबू के आने पर मैने उनसे वार्ता की तो उसने मेरी पट्टे की फाईल तैयार कर मेरे नाम पट्टा बनवाने के लिये सरकारी फिस के कुल 18,100 रूपयों के अलावा 5000 रूपये रिश्वत देने की कही, विशाल माथूर बाबू के चले जाने के पश्चात मैने टेप रिकार्डर श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर दिया। परिवादी रामेश्वरलाल ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की कही, जिस पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर से श्री धर्मपाल एवं श्री जयप्रकाश सैनी कनिष्ठ सहायकगण को तलब किया जाकर कार्यालय में मौजूद परिवादी रामेश्वरलाल का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी रामेश्वरलाल द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 01.02.2022 को नगरपालिका लोसल एवं बस स्टेण्ड लोसल पर आरोपी श्री विशाल माथूर बाबू नगरपालिका लोसल जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसका परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड